

## मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत राज्य के विद्यालयों से 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य कोटि/पिछड़ा वर्ग-2 की छात्राओं को ₹ 10,000/-प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है।